जारी
31/01/19

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 360 / XXV–12(P–8) / 2008 देहरादूनः दिनाक 31 जनवरी, 2019.

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन,
नई दिल्ली ।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी वांछित सूचना का प्रेषण।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–4/RTI/ECI/Terr/Lett/UKD/2017/NS-II/227 के दिनांक 15–01–2019 साथ संलग्न Sh. Navraj (Advocate) R/o H.No. 26, Vyom Prakash GMS Road Kanwali, Dehradun Uttarakhand-248001 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उत्तराखण्ड राज्य के समस्त लोक सूचना अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करते हुए सन्दर्भित सूचना संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

B S Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

rti 2019

(1)

पंजीकृत

कार्यालय सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः 192 /25–38(6)/ 2016–17 दिनांक 29 जनवरी, 2019

सेवामे,

सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओ से सम्बन्धित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 236 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के पत्र संख्या 4/RTI/ECI/Terr/Lett/UKD/2017/NS-II/227 दिनांक 15-1-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम ,2005 द्वारा बिन्दु संख्या– C &D पर चाही वांछित सूचना अभियोजन विभाग (LIU) उत्तरकाशी से प्राप्त कर निम्न प्रकार सादर सेवामें प्रेषित की जा रही है।

C- Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarkashi District- कांग्रेस–100, भाजपा–150,अन्य–80 कुल–330 बाइक रैली।

D- Whether the election Commission/official of Commission had knowledge about the fact that place for filing of nomination to contest election for constituencies at district dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun i.e. Doon Hospital- Nill (यह सूचना देहरादून जनपद से सम्बन्धित है)।

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

②

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
का. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं0:– 117 /25–16(सू.अ.अ–2005)/ 2018 दिनांक 23 जनवरी, 2019

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–236 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के साथ संलग्न आयोग के पत्र संख्या–4/RTI/ECI/Terr/Lett/UKD/2017/NS-II/227 दिनांक 15 जनवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–C व D पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त पत्र के कम में वांछित सूचना निम्नतः तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

C-Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.	इस जनपद से बाईक रैली संबंधी सूचना शून्य है।
D-Whether the Election Commission/official of Commission had the khowledge about the fact that the place for filing of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun i.c.Doon Hospital.	इस जनपद से सम्बन्धित नहीं है।

भवदीय,

23.1.19

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

अनुरोध को सुचना देने संबंधी प्रपत्र

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 32 29–9/2018–19

सेवा में,

दिनांक 28 जनवरी, 2019

श्री नवराज (एडवोकेट),
निवास न0 26,व्योम प्रस्थ,
जी0एम0एस0 रोड़ कांवली
देहरादून, उत्तराखण्ड 248001।

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृप्या आपके पत्रांक–236/XXV-12(P-7)/2008 दिनांक–22 जनवरी, 2019 के साथ सलंग्न भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–4/RTI/ECI/terr/ LettUKD/2017/NS-II/277 दिनांक–15.01.2019 Sh. Navraj (Advocate) R/o H.No. 26 Vyom Prakash GMS Road Kanwali] Dehradun Uttrakhand-248001के आवेदन पत्र के अपील में मा0 सूचना आयुक्त के आदेश के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त पत्र के अनुपालन में इस जनपद से संबंधित सूचना बिन्दु संख्याः–C की वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

(C)	Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttrakhand state.	Nil

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असन्तुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है। अपील दायर कर सकते है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पताः– श्री देवानन्द
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
Telephone N0- 01364-233352

भवदीय,
28/1/19
(रमेश चन्द्र आर्या)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
रूद्रप्रयाग। Sangeeta

प्रतिलिपिः– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के उनके पत्र संख्या :–4099/XXV-12(P-7)/2008 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/19
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
रूद्रप्रयाग। Sangeeta

(4)

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, शासन,
देहरादून।

पत्रांक 108 /29–6 /2018 टिहरी गढ़वाल दिनांक 25 जनवरी,2019

विषय– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचना का प्रेषण ।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–236 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के अनुपालन में आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम–2005 भारत निर्वाचन आयोग नपई दिल्ली के पत्र संख्या–4/ECI/Terr/LETt/UKD/217/NS-II 227 के दिनांक 15.1.2019 के साथ संलगन Sh Navraj ()Advocate) R/O H.No 26, Vyom Prakash GMS Ropad Kanwali, Dehradun Utalhand के अनुरोध पत्र संलग्न है । सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न बिन्दुवार तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु (C) Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State.	इस जनपद में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसरों द्वारा कुल 05 बाईक रैली की अनुमति दी गई। एक रैली में 40 से 50 बाईकों की अनुमति दी गई।
बिन्दु (D) the Election Commission /official of Commission had the knowedge about the fact that the Place for filling of nomination to contest election for constituencies at district Dehradoon was near the biggest govt. Hospital of Dehradoon i.e doon hospital.	इस जनपद से संबंधित नही है।

भवदीय,

(अरूणेश पैन्यूली)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढवाल।

Email ID [illegible]
Fax/Phone- 01334-239942
28/1/19

(5)

//कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार//

संख्या 131 /29–14(सू.अ.अ.) /2019 दिनांक 24 जनवरी, 2019

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
का. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 236/XXV–12(P–7) 2008 दिनांक 22 जनवरी 2019 के साथ संलग्न आयोग के पत्र संख्या 227 दिनांक 15.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या C व D पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त पत्र के कम में वांछित सूचना निम्नवत् तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

C– Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in uttarakhand state.	32 खानपुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमे 50 बाईको का उपयोग किया गया।
D– The Election Commission/ officials of commission had the knowledge about the fact that the place for filling of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon Hospital.	इस जनपद से सम्बन्धित नही है।

बिन्दु संख्या D, E, F, G एवं H से संबंधित सूचना इस जनपद द्वारा धारित नही है।

अतः मांगी गई उपरोक्त सूचना सेवा में प्रेषित।

भवदीय

(हरीश सिंह रावत)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
दूरभाष नम्बर–01334–239942

16

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
देहरादून।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

संख्या– 155/25-10/2019

दिनांक 28 जनवरी, 2019

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–236 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है–

बिन्दु संख्या–C & D -	सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या–1127 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा पूर्व में उपलब्ध करा दी गई है। पुनः छायाप्रति संलग्न है। बिन्दु संख्या– D के सन्दर्भ में नाम निर्देशन हेतु निर्धारित कक्ष के सम्बन्ध में जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या–134 दिनांक 14.01.2017 एवं 145 दिनांक 16.01.2017 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।

<u>संलग्न–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(पी.एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

(7)

कार्यालयः– जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून ।

कचहरी परिसर, देहरादून–248001
टेलीफोन / फैक्स न0 (0135)–2624216

संख्या 1127 / 25–10–5 / 2016 दिनांक 25, अक्टूबर 2017

सेवा में,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,
उत्तराखण्ड, 2 सुभाष रोड ,
सचिवालय परिसर देहरादून।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2503 दिनांक 25.10.2017 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4 / भा0नि0आ0 / आर0टी0आई / क्षे0 / पत्र / 16 / उ0अनु0–2 / उततरा0 / 2017 / 22 दिनांक 17.10.2017 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ABCD बिंदुओं पर आज ही सूचना उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया है।

बिन्दू संख्या A व D से सम्बधित सूचना इस कार्यालय में अभिरक्षित नहीं है।
बिन्दू संख्या B व C से संबधित सूचना के 05 पृष्ठ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक: 5 पृष्ठ

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

लोक सूचना अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर विधान सभा क्षेत्र 17–सहसपुर, देहरादून।

संख्या 13339/अनु0/वि0स0क्षे0–17–सहसपुर/2016–17/ दिनांक 23/01/17

विषय– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत जनसभा/जुलूस/रैली इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में विधि, व्यवस्था तथा शांति, सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

अनुमति पत्र/आदेश

श्री/सुश्री/श्रीमती– गौरव पुंडीर .... पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती– [illegible] पुंडीर .... सम्बद्ध– निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक– .... के क्रम में जनसभा/जुलूस/रैली इत्यादि की राजनीतिक दल /संगठन/व्यक्ति/प्रत्याशी (नाम लिखे) गौरव पुंडीर निर्दलीय प्रत्याशी .... के निर्वाचन प्रचार हेतु दिनांक 23/01/17 से 23/01/17 (समय–10.00 AM से 2.00 PM) तक क्षेत्र का नाम– सहसपुर ([illegible]) विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर हेतु अनुमति लाउडस्पीकर सहित/रहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विद्युत विभाग, एफ0एस0ओ0 आदि से अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रमाण पत्र लिया जाये।
2. आयोजक कार्यक्रम के दौरान अपने वालिन्टियर्स की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।
3. आयोजक कार्यक्रमों में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता के प्रति विपरीत प्रभाव पड़े।
4. आयोजक आयोजन स्थल की अनुमति स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति जिसके स्वामित्व में स्थल हो, से प्राप्त करेंगे।
5. सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। किसी सम्भावित दुर्घटना को रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। इसी प्रकार यातायात व्यवस्था व अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस विभाग से पूर्व में आयोजकों को स्वयं वार्ता करनी होगी तथा उनके निर्देशों का पालन करना होगा।
6. आयोजन के दौरान किसी वी0वी0आई0पी0 के आगमन पर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सुरक्षा मानकों के अनुसार पुलिस के निर्देशन में स्वयं आयोजकों को समुचित व्यवस्था करनी होगी।
7. कोई अश्लील नृत्य व गायन का कार्यक्रम नहीं करेंगे तथा अश्लील पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगायेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त प्रयोग किये गये सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई पूर्व की भांति स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान की गयी किसी भी प्रकार की गन्दगी की स्वयं सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. आयोजन स्थल पर नाइलॉन के पर्दे इत्यादि का प्रयोग न किया जाये। सूती पर्दों का प्रयोग किया जाये।
9. आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की गैस भट्टियों व ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न किया जाये।
10. यातायात व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को सहयोग प्रदान करेंगे व वाहनो की पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था करेंगे।
11. आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार से यातायात में अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
12. सभा स्थल एवं आयोजन से संबंधित अन्य स्थानों पर आयोजन का संचालन इस प्रकार से किया जाये कि पास–पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न होने पाये।
13. विधि एवं व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल की नियमानुसार तैनाती की जायेगी।
14. पंडाल का निर्माण इस प्रकार किया जाये जिसमें आने व जाने के अलग–अलग मार्ग एवं पर्याप्त स्थान होना चाहिए तथा चारों दिशाओं में निकास की व्यवस्था हो।
15. आयोजन स्थल से बाहर भी पर्याप्त खुला स्थान सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाये।
16. आयोजन स्थल पर चारों तरफ बाहर निकलने हेतु चौड़े रास्ते होने चाहिए तथा आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन आने–जाने हेतु रास्ता खुला होना चाहिए।
17. आयोजन स्थल पर की जाने वाली बिजली फिटिंग के तारों के जोड़ ठीक प्रकार से टेप किये जाये व विद्युत वायर तिरपाल बल्लियों से पर्याप्त दूरी पर हो।
18. जनसभा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक होने एवं विद्युत सुरक्षा संतोषजनक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
19. नियमानुसार देय देयों का भुगतान आयोजकों को नियमानुसार करना होगा तथा कार्यक्रम के दौरान सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।
20. जनरेटर रूम पर्याप्त दूरी एवं सुरक्षित स्थान पर हो, जिसके पास एक अदद डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूसर की व्यवस्था की जाये एवं मेन स्वीच पर एम0सी0बी0 की व्यवस्था की जाये।

[signature]

21. आयोजक रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा जिससे वृद्धों, बीमार, बच्चों एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

22. जनसभा/जुलूस/रैली का संचालन इस प्रकार किया जाये कि पास–पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाये।

23. जनसभा स्थल पर चारों कोनों में चार आपातकालीन निकासी द्वार होने आवश्यक हैं जिनकी चौड़ाई कम से कम 15 फीट और ऊँचाई 18 फीट होना आवश्यक होगा।

24. आयोजक यदि अस्थाई विद्युत संयोजन लेते हैं तो सहायक विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, रुड़की जोन रुड़की से प्राप्त अनापत्ति पत्र के उपरान्त ही विद्युत संयोजन निर्गत किया जा सकता है।

25. बिजली के तारों की ऊंचाई पर्याप्त रूप से हो। कोई भी तार एवं बल्ब शामियाने में स्पर्श न करे। वाइरिंग खींची हुई हो व ढीली न हो। तारों में कटिया का प्रयोग नहीं किया जायेगा। तारों के जोड़ अच्छी तरह टेपिंग हो, कोई तार खुली न हो।

26. पंडाल ऐसी सामग्री से बनाया जाये जो अग्नि के दृष्टिकोण से सभी प्रकार से सुरक्षित हो एवं अग्नि का प्रतिरोधक हो।

27. बांस–बल्लियों को पर्याप्त मजबूती से गाड़ा एवं बांधा जाये।

28. आयोजन स्थलों में अक्सर खाद्य एवं पेय पदार्थों के स्टाल भी लगाये जाते हैं, जिनमें गैस सिलेण्डर, स्टोव आदि काफी संख्या में लगाये जाते हैं। इन्हें मुख्य पाण्डाल से दूर लगाया जाये। इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण उच्चस्थ विश्वसनीयता के हों तथा केवल व्यावसायिक (कॉमर्शियल) सिलेण्डरों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा न करने पर पण्डाल कदापि न लगाया जाये।

29. आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा अनिवार्यतः फायर एक्सटिंग्यूसर, बालू से भरी बाल्टियां, बेलचे, फायर एक्स, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध रखी जाये।

30. पंडाल विद्युत लाइन के नीचे न बनाया जाये। पंडाल की विद्युत वायरिंग पुख्ता हो। ज्वाइंट मजबूत व इन्सूलेटेड हों। गैस बत्ती पंडाल में कदापि न जलाई जाये। पंडाल के भीतर आग न जलाई जाये।

31. कुर्सियों की दस कतार के पश्चात आने–जाने का रास्ता छोड़ा जाये।

32. अस्थाई/स्थाई पण्डाल अग्निशमन गाड़ी के पहुंच में हो। पण्डाल आदि के भीतर क्षमता से अधिक लोग न हों। प्रत्येक निकासी से बैठने की दूरी 15 मीटर से अधिक न हो।

33. जुलूस/जनसभा स्थल में सम्मिलित होने वाले महानुभावगण के अनुसार मंच एवं सभा स्थल पर बैरेकेटिंग की व्यवस्था पुलिस अधिकारी के निर्देशानुसार उच्च सुरक्षा प्राप्त महानुभावगण के मानकों के अनुरूप स्थल पर किया जाये।

34. जुलूस/जनसभा स्थल पर मंच का निर्माण मंच पर बैठने वाले महानुभावगण की पूर्व निर्धारित संख्या के अनुसार सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखते हुए मजबूती से बनाया जाये तथा पूर्व निर्धारित संख्या से अतिरिक्त मंच पर बैठने की अनुमति कदापि न दी जाये। मंच पर बैठने वाले महानुभावगण की सूची रैली से पूर्व पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाये।

35. जुलूस/आयोजन से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं दिवाल लेखन का कार्य सार्वजनिक भवनों एवं सम्पत्तियों पर कदापि न किया जाय। प्राईवेट भवनों एवं सम्पत्तियों पर उससे संबंधित स्वामी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने उपरान्त पोस्टर, बैनर एवं दिवाल लेखन का कार्य किया जाय।

36. जुलूस/आयोजन स्थल पर सभा करने की अनुमति उसके स्वामी/प्रबंधक से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये तथा उसकी प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

37. सड़क मार्ग के आर–पार बनाये जाने वाले तोरण द्वारों के संबंध में रोड से संबंधित विभाग यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग तथा संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने उपरान्त ही लगाया जाये।

38. लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग सार्वजनिक आकस्मिता को छोड़कर रात्रि (10.00 पी.एम. से 06.00 ए.एम. के मध्य) में नहीं किया जायेगा। बन्द परिसर यथा आडिटोरियम, कान्फ्रेन्स रूम, सामुदायिक हाल एवं बैंक्वेट हाल में संचार हेतु किया जा सकता है।

39. सक्षम प्राधिकारी के लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का प्रयोग किये जाने की दशा में, ऐसे लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर एवं अन्य उपकरण, की जब्ती की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

40. अधोलिखित क्षेत्रों में शोर स्तर को एम्बीएन्ट वायु गुणवत्ता मानक से अधिक कदापि नहीं बढ़ाया जायेगा।

क्षेत्र कोड क्षेत्र का वर्गीकरण डी बी (ए) लेक (स्यु) सीमा

		दिन	रात्रि
A	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
B	व्यापारिक क्षेत्र	65	55
C	आवासीय क्षेत्र	55	45
D	साइलेंस क्षेत्र	50	40

41. आयोजक को जुलूस निकालने से पूर्व जुलूस प्रारम्भ स्थान, जुलूस मार्ग एवं जुलूस समाप्ति स्थल की सूचना अग्रिम रूप से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराना होगा। जुलूस का संचालन इस प्रकार से किया जाये, जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यदि जुलूस लंबा हो, तो उसे टुकड़ों में विभाजित किया जाये। चौराहों, तिराहों, दोराहों पर जुलूस का संचालन इस प्रकार से किया जाये कि यातायात के आवागमन में अवरोध घटित न हो तथा ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

42. सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी जनसभा/जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन कदापि नहीं किया जायेगा।

43. कोई भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार–प्रसार हेतु प्लास्टिक/पालिथीन निर्मित पोस्टरों, बैनरों इत्यादि का प्रयोग कदापि नहीं करेगा।

44. जनसभा/जुलूस/रैली/नुक्कड़ नाटक इत्यादि, जिसके लिए अनुमति ली जा रही है, उसमें हुए समस्त व्यय का विवरण संबंधित विधान सभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिससे अनुमति प्राप्त की जा रही है, आयोजन समाप्ति के तत्काल पश्चात, प्रमाणित बिल/वाउचर्स प्रति सहित, जो अधिकृत व्यक्ति (संबंधित दल के मा0 अध्यक्ष/महामंत्री/सचिव या अन्य व्यक्ति, जो किसी दल विशेष से सबद्ध नहीं है) द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसका विवरण पंजिका में भी दर्ज किया जायेगा।
45. आयोजक मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेगा।

46. यह अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि जुलूस में एक जत्थे में 10 ही वाहन शामिल होंगे । यदि 10 से अधिक वाहन होते हैं तो प्रथम एवं दूसरे 10 वाहनों के जत्थे में कम से कम 200 मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी ।

उपरोक्त का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने वाले पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने उपरांत स्थल का निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी, विद्युत विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को करायें। तद्नुसार आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन धारा 188 भा0द0स0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

स्थान:–देहरादून।

दिनांक:– 23/01/2017

(हस्ताक्षर) 23/01/17
(डा0 आर0 एस0 नेगी)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर
जनपद – देहरादून।
RETURNING OFFICER
17-SAHASPUR
ASSEMBLY CONSTITUENCY

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर, जनपद देहरादून।
संख्या: 3339/स0वि0नि0–2017/2016–17/दिनांकः 23/1/17
प्रतिलिपि:– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण देहरादून।
2– श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे, प्रभारी लेखा टीम, 17–सहसपुर ।
2– उड़न दस्ता प्रभारी श्री ...प्रभारी (विडियो) दिलीप 17-Sahaspur (D.Dun)
3– प्रभारी वीडियो निगरानी टीम, 17–सहसपुर, देहरादून ।
3– क्षेत्राधिकारी पुलिस/प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली/थानाध्यक्ष सहसपुर को आयोजन के दौरान विधि एवं व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(डा0 आर0 एस0 नेगी)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधान सभा क्षेत्र–17 सहसपुर
जनपद – देहरादून।
RETURNING OFFICER
17-SAHASPUR
ASSEMBLY CONSTITUENCY

Received
23/01/2017
Daya Singh
Vill Badripur

(11)

<u>रिपोर्ट थाना सहसपुर जनपद देहरादून</u>

सेवा में,

श्रीमान रिटर्निंग आफीसर 17-सहसपुर विधानसभा महोदय,
जनपद देहरादून।

<u>द्वारा:-</u> उचित माध्यम,

<u>विषयः-</u> दिनांक 23/1/17 को श्री गौरव पुण्डीर निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र 17-सहसपुर से नामाकन किये जाने के सम्बन्ध मे अनुमति विषयक ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि थाना सहसपुर पर निर्दलीय प्रत्याशी श्री गौरव पुण्डीर निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।जो दिनांक 23/1/17 को समय 10.00 बजे से 02.00 बजे तक विधानसभा -17 सहसपुर से निर्दलीय प्रत्याशी पद नामाकन किया जाना प्रस्तावित है। नामाकन मे रेली में समर्थकों 300 के लगभग एवं 100 मोटर साईकिल व 30 गाडियों प्रयोग जो ग्राम सिघनीवाला से कुल्हाल विकासनगर तक किया जाना अंकित है । निर्दलीय प्रत्याशी श्री गौरव पुण्डीर को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

1- उक्त आयोजन से किसी भी प्रकार से यातायात प्रभावित न हो।
2- सभा मे 10 से अधिक वाहन CONVAY के रूप मे एक साथ नहीं चलेगें तथा CONVAY के मध्य 200 मीटर का अन्तर हो।
3- मोटर साइकिल पर लगे झण्डे की लम्बाई 03 फिट से अधिक न हो।
4- आयोजन जहाँ तक सम्भव हो अवकाश के दिन आयोजित हो।
5- उक्त आयोजन मे आम जनता का सुरक्षा व सुविधा का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाय।
6- सभा/आयोजन मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कार्यक्रम मे प्रयोग मा0 न्यायालय व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन किया जाय।
7- कार्यक्रम मे जानवरों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
8- आयोजन के दौरान समर्थक केवल एक झण्डा 3 * 2 फीट का पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रयोग कर सकते है।
9- कार्यक्रम मे यूनिफार्म मे स्कूली बच्चे शामिल न हो।
10- कार्यक्रम मे बैनर का आकार किसी दशा मे 6 * 4 से अधिक न हो। आयोजन/कार्यक्रम मे किसी धर्म विशेष की भावनाओं के ठेस न पहुँचे।
11- आयोजन के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे की पूर्णतः जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
12- कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण रूप से सौहदार्दपूर्ण वातावरण मे किया जाय। आयोजन के दौरान किसी वर्ग व्यक्ति जाति एवं धर्म विशेष के प्रति समाजिक आदि भावनाओं का ठेस पहुँचाने वाला वाला भड़काने एवं नारेबाजी न किये जाये।
13- अन्य सम्बन्धित से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

रिपोर्ट सेवा मे सादर प्रेषित है।

(थानाध्यक्ष)
थाना सहसपुर
जनपद देहरादून

थानाध्यक्ष

कृ० आख्या दें।

RETURNING OFFICER
17-SAHASPUR
ASSEMBLY CONSTITUENCY
21/1/17

सेवा में

श्रीमान रिटर्निंग ऑफिसर
सहसपुर दे०दून

महोदय जी

निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 23-01-17 को अपना नामांकन पत्र सहसपुर विधान सभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमा करना चाहता है। जिसके लिये प्रार्थी के साथ प्रस्तावक व समर्थक होंगे जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास हो सकती है। जिसका समय 10 बजे से 2 बजे तक होगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को रैली निकालने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक:- 21.01.17

प्रार्थी:- गौरव पुण्डीर S/o श्री [illegible]
फोन नम्बर: 8859100083
निवास 11 सुभाष रोड, देवलोक कॉलोनी, दे०दून

महोदय रैली में 100 बाइक तथा 30 गाड़ियों की अनुमति देने की कृपा करें।
तथा रैली ग्राम सिंहनीवाला से विकासनगर [redacted] तक, विकासनगर से कुल्हाल तक की अनुमति प्रदान करें।

(13)

E-Mail ID dmcumdeoddn@gmail.com
Tele/Fax 0135-2624216
Toll Free No. 0135-1950

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण कर दी गयी है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20 जनवरी, 2017 से नाम निर्देशन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी। जनपद देहरादून में स्थित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु निम्नानुसार रिटर्निंग आफिसरों के लिये कक्ष निर्धारित है।

क्र.सं.	विधान सभा की संख्या एवं नाम	नाम निर्देशन हेतु कक्ष
1.	15–चकराता (अ.ज.जा.)	तहसीलदार न्यायालय कक्ष, कालसी।
2.	16–विकासनगर	उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष, विकासनगर।
3.	17–सहसपुर	तहसीलदार न्यायालय कक्ष, विकासनगर।
4.	18–धर्मपुर	उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष, सदर देहरादून।
5.	19–रायपुर	नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष, देहरादून।
6.	20–राजपुर रोड़ (अ.जा.)	सहायक अभिलेख अधिकारी न्यायालय कक्ष, देहरादून।
7.	21–देहरादून कैन्टोनमेन्ट	अपर आयुक्त न्यायालय कक्ष, कलक्ट्रेट परिसर, देहरादून।
8.	22–मसूरी	उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी कैम्प न्यायालय कक्ष कलक्ट्रेट परिसर, देहरादून।
9.	23–डोईवाला	उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष, डोईवाला।
10.	24–ऋषिकेष	उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष, ऋषिकेश।

अतः नाम निर्देशन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार आवंटित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार कक्षों में सम्पन्न की जायेगी।

स्थान – देहरादून
दिनांक –14 जनवरी, 2016

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्या–135 /25–76/ 2016 दिनांक 14 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित–

10. प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नाम निर्देशन के दौरान उक्त स्थानों पर एक डी.एस.पी रैंक के अधिकारी सहित समुचित सुरक्षा व्यवस्था बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
12. अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून।
13. समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर, जनपद देहरादून।
14. समस्त नोडल/सह नोडल अधिकारी, जनपद देहरादून।
15. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून के इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र में दैनिक समाचार की भांति निःशुल्क प्रकाशन करवाना सुनिश्चित् करें।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

E-Mail ID dmcumdeoddn@gmail.com
Tele/Fax 0135-2624216
Toll Free No. 0135-1950

संशोधित

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20 जनवरी, 2017 से नाम निर्देशन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी। अभ्यर्थि द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु इस कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 135 दिनांक 14 जनवरी, 2017 द्वारा कक्ष निर्धारित कर लिये गये हैं। उक्त विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार विधान सभा के लिये नाम निर्देश पत्र दाखिल करने हेतु कक्ष आवंटित किया जाता हैं।

क.सं.	विधान सभा की संख्या एवं नाम	नाम निर्देशन हेतु कक्ष
1.	15–चकराता (अ.ज.जा.)	उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष, कालसी।

अतः नाम निर्देशन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार आवंटित कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

स्थान – देहरादून
दिनांक –16 जनवरी, 2016

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
संख्या–145 /25–26/2016 दिनांक 16 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नाम निर्देशन के दौरान उक्त स्थानों पर एक डी.एस.पी रैंक के अधिकारी सहित समुचित सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून।
4. समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर, जनपद देहरादून।
5. समस्त नोडल/सह नोडल अधिकारी, जनपद देहरादून।
6. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून के इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र में दैनिक समाचार की भांति निःशुल्क प्रकाशन करवाना सुनिश्चित् करें।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

(15)

Email.ID-dmcumdeopwl@gmail.com

Fax/Phone- 01368-222217

//कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल//

संख्या 97/29-35/2018 दिनांक 23 जनवरी, 2019

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- सूचना के अधिकार के अतर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्त्रण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 236 /XXV- 12(P-7)/2018 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के अनुपालन में सूचना अधिकार के अन्तर्गत इस जनपद से संबंधित वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार हैः-

क्रसं	बिन्दु	इस जनपद से संबंधित सूचना
A	The total Number of FIRs that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and thier Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election in Uttrakhand State.	NIL
B	Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/Officials in the above mentioned election in uttrakhand State	NIL
C	Total Number of bikes in a raily that were permitted in the above mentioned elction in Uttrakhand State.	NIL

बिन्दु संख्या D, E, F, G, एवं H से संबंधित सूचना इस जनपद द्वारा धारित नहीं हैं।

अतः सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

d:\latters\ceo\ceo latters.docx

(16)

कार्यालयः जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ

E-mail:dmcumdeopgh@gmail.com

दूरभाषः 01334–225236
फैक्सः 01334–225236

पत्रांकः– 101/29–आर.टी.आई/2018–19/ दिनांकः– २९ जनवरी, 2019

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी,
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **सूचना का अधिकार–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–236/XXV–12(पी–7)/2008 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के साथ संलग्न आयोग के पत्र संख्या–227/दिनांक 15.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या– C व D पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के क्रम में वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैः–

C- Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand state.	NIL
D- The Election Commission /officials of commission had the knowledge about the fact that the place for filling of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun le. Doon Hospital.	इस जनपद से संबंधित नहीं है।

बिन्दु संख्या– D,E,F, G, एवं H से संबंधित सूचना इस जनपद द्वारा धारित नहीं है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पिथौरागढ़
दूरभाष नम्बर–05964–225236

(17)

संलग्नक 10
अनुरोध को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर ।

पत्रांकः 58 /29–51 (2018–2019) दिनांक23जनवरी, 2019

सेवा में, ।

अनुभाग अधिकारी /
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र 236 / XXV–12(P-7) / 2008 दिनांक 22 जनवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र में आपके द्वारा विधान सभा निर्वाचन–2017 जिसमे बिन्दु संख्याः A से H तक की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है उक्त सूचना बिन्दुवार तैयार कर प्रेषित की जा रही है ।

क0सं0	विवरण	प्रत्युत्तर
A	The total Number of FIRs that were registered due to obstruction caused to general public and Traffic movement by the candidates and their Rally while going to file their nomination paper for the above mentioned election tn Uttarakhand State.	जनपद बागेश्वर में उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किये जाने हेतु उनकी रैली द्वारा आम जनता और यातायात पर कोई प्रभाव नही पड़ा।रैली निकालते समय किसी उम्मीदवार के प्रति आफ.आई.आर दर्ज नही है ।
B	Total number of bike Rallies that were permitted by the Election Commission/officials in the above mentioned election in Uttarakhand State.	जनपद बागेश्वर में वर्ष 2017 के विधान सभा निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी द्वारा बाईक रैली निकालने हेतु कोई अनुमति नही दी गई है और न ही कोई बाईक रैली निकाली गई है ।
C	Total Number of bikes in a rally that were permitted in the above mentioned elextion in Uttarakhand State.	बिन्दु B के अनुसार दी जा रही है ।
D	The Election Commission/officials of Commission had the knowledge about the fact that the place for liling of nomination to contest election for constituencies at district Dehradun was near the biggest govt. Hospital of Dehradun I.e Doon hospital.	इस जनपद से संबंधित नही है ।
E	Steps taken by Election Commission to end bike Rallies in elextion since 2015 for every election that is held in India.	–
F	Dlection Commission has taken any steps to bring into electronic/E filing system/online filing of nomination by candidates for contesting election.	–
G	Any specific recommendation by any committee to bring E liling of nomination to the election Commission. If any do provide.	–
H	Please provide the file nothing's in movement of this RTI application and every aspect of this RTI application.	–

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर ।

पत्रांकः /29–51 (2018–2019) तद्दिनांक

प्रतिलिपि–Sh. Navraj (Advocate) R/o H. No. 26, Vyom Prakash GMS Road Kanwali, Dehradun Uttarakhand-248001 को सूचनार्थ प्रेषित ।

लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर ।

BR duct/RTI

(18)

पंजीकृत

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।

फोन/फैक्स नं0: 05965 230296
ई–मेल : dmcumdeocpt@gmail.com
deochp-election@uk.gov.in

पत्रांक 08/29–11(सूचना अधिकार)/2018 दिनांक : 28 जनवरी, 2019

सेवा में,

Sh. Navraj (Advcate)
R/o H.No. 26, Vyom Prakash GMS Road,
Kanwali, Dehradun
Uttarakhand-248001

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक आपके अनुरोध पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 2018 जो इस कार्यालय को अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–236/XXV-12(P-7)/2008 दिनांक 22 जनवरी, 2019 द्वारा हस्तान्तरित होकर इस कार्यालय में दिनांक 22 जनवरी, 2019 को प्राप्त हुआ है, के बिन्दु संख्या C एवं D की सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

बिन्दु संख्या C	Total Number of Bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in uttarakhand state.	इस कार्यालय में धारित नहीं है।
बिन्दु संख्या D	Whether the Election commission/ official of commission had the knowledge about the fact that place for filing of nomination to contest election for constituencies at district dehradun was near the biggest govt. hospital of dehradun i.e doon hospital	इस कार्यालय में धारित नहीं है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते है :–
विभागीय अपीलीय अधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–236/XXV-12(P-7)/2008 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

(19)

पंजीकृत

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल।

फोन/फैक्स नं0: 05942 235284 ई–मेल : dmcumdeontl@gmail.com

पत्रांक 97 /29–(सूचना अधिकार)/2018 दिनांक : 25 जनवरी, 2019

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–236/XXV-12(P-7)/2008 दिनांक 22 जनवरी, 2019 द्वारा वांछित सूचना निम्नानुसार है।

बिन्दु संख्या C	Total Number of Bikes in a rally that were permitted in the above mentioned election in uttarakhand state.	02 (दो) रेलियों में प्रयुक्त 33 बाईक जिस हेतु अनुमति प्राप्त की गई। रेली दिनांक– 11 फरवरी, 2017 विधान सभा क्षेत्र–60 कालाढूंगी जिसमें 23 बाईक एवं रेली दिनांक–12 फरवरी, 2017 विधान सभा क्षेत्र–57 भीमताल जिसमें 10 बाईक।
बिन्दु संख्या D	Whether the Election commission/ official of commission had the knowledge about the fact that place for filing of nomination to contest election for constituencies at district dehradun was near the biggest govt. hospital of dehradun i.e doon hospital	जनपद से संबंधित नहीं है।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।

(20)

<u>ई–मेल / पंजीकृत।</u>

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
उधमसिंह नगर।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
<u>देहरादून</u>।

पत्रांक : 1309 / 29–8(सू0अ0) / 2019 दिनांक : 25 जनवरी, 2019

विषय :– सूचना के अधिकारी के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–236 / XXV-12(P-7)/2008 दिनांक 22 जनवरी, 2019 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में सूचना अधिकार के अधिनियम–2005 के अन्तर्गत विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 से संबंधित बिन्दु C पर वांछित सूचना निम्नानुसार सादर प्रेषित है :–

C	Total Number of bikers in a rally that were permitted in the above mentioned election in Uttarakhand State	Nil

भवदीय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
उधमसिंह नगर।